कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड–मेरठ ।

पत्रांक– 2591/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/निविदा/2013–14/दिनॉकः : 12.02.2014

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–23

1. महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निम्नलिखित स्वीकृत/स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्माण कार्यो हेतु मुहरबन्द निविदायें प्रतिशत दर में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर–प्रदेश में श्रेणी–ए,बी,,सी,,एवं डी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती हैं। निविदादाता एक या एक से अधिक कार्यों के लिए निविदा डाल सकता है ।

2.

क0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	आंकलित धनराशि (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि	स्टेश0 मूल्य+ निविदा मूल्य+ वैट	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य सम्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	जिलाधिकारी का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	,,	एल ब्लाक शास्त्रीनगर में वाणिज्यकर आवासीय भवनों में अनुरक्षण का कार्य (स्थानीय)	21.50	43000.00	500 + 300 + 100	तीन माह	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, विकास भवन मेरठ	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, थापर नगर मेरठ	जिलाधिकारी मेरठ

3. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षाऋतु को शामिल करते हुए कालम नं0–7 में वर्णित है ।

4. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी । एक बार प्रस्तुत की गई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है ।

5. कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, एवं जिलाधिकारी के कार्यालय से जैसा कि कालम 8,9 एवं 10 में अंकित है, से दिनॉक 25.02.14 से 26.02.14 तक प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे के मध्य किसी भी कार्यदिवस में गैर वापिसी शुल्क 500.00 (पांच सौ रू0 मात्र) स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क प्रति कार्य हेतु जैसा कि कालम संख्या–06 में दर्शाया गया है में नगद एस0बी0आई0 बैंक के नाम बैंक ड्राफट जो अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा। ठेकेदार जो अन्य जानकारियॉ प्राप्त करना चाहते हैं वह जहॉ से निविदा प्रपत्र खरीदे जायेगें वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक से अथवा स्पीड पोस्ट से मंगाये जाने की अवस्था में ठेकेदार को दिनॉक 25.02.14 को सांय 4.00 बजे से पूर्व रू0 200.00 अतिरिक्त जमा करने होगें । डाक से निविदा मंगाने की अवस्था में डाक वितरण अथवा प्राप्ती में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार नहीं होगा । निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं । जिसके लिए 500.00रू0 का स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क प्रति कार्य हेतु जैसा कि कालम 6 में दर्शाया गया है नगद, एस0बी0आई0बैंक के नाम बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी । निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड की अवस्था में ड्राइंग अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय जैसा कि कालम 8 में दर्शाया गया है, से सम्बन्धित कार्य हेतु प्राप्त की जा सकती है ।

6. वेब साइट पर निविदा प्रपत्र डाउन लोड की अवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र प्रमाणिक मानी जायेगी । वेबसाईट से डाउनलोड की अवस्था में ड्राइंग सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय जैसा कि कालम 8 में दर्शाया गया है से सम्बन्धित कार्य हेतु प्राप्त की जा सकती है ।

7. निविदायें कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता अथवा जिलाधिकारी के कार्यालय में जिनके पते कमशः कालम–8,9 व 10 में अंकित हैं को दिनॉक 28.02.14 (दोपहर 12.00 बजे तक निविदा पेटिका में डाली जायेगी जो दिनॉक 28.02.14 को दोपहर 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय)(जैसा कि कालम नं0–8 में दर्शाया गया है) में निविदादाताओं (जो उपस्थित होना चाहते हैं) के समक्ष खोली जायेगीं तथा निविदा प्राप्ती अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय व स्थान पर प्राप्त और खोली जायेगी तथा निविदाओं की वैधता मूल तिथि से मानी जायेंगी।

8. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जैसा कि कालम–5 में दर्शाया गया है को संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ के पक्ष में बन्धक होगी

9. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी । निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदार का एफेडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो कि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत हैं ।

D.I.O., N.I.C.
Please upload Document on the District Meerut website

25/02

मुख्य विकास अधिकारी
मेरठ

10. विद्युत के कार्य हेतु निविदा विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों के साथ–साथ पी0डब्लू0डी0, यू0पी0पी0सी0एल0 तथा एम0ई0एस0 में पंजीकृत ठेकेदारों से भी आमन्त्रित की जाती हैं

11. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवा निवृत्ति के पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जायेगी । यदि कोई सेवा निवृत्ति अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुए पाये जायेगें तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी ।

12. निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसे अर्हता, कार्य की विशिष्टियॉ, ड्रॉइंग विभिन्न कार्यो के बिल ऑफ क्वान्टिटी जो कार्य किया जाना है के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जैसा कि कालम 8 में दर्शाया गया है को कार्य समय 11.00 बजे से 4.00 बजे तक दिनॉक 25.02.14 से 26.02.14 तक देखी जा सकती हैं ।

13. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ।

14. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कोन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा ।

15. दस लाख से ऊपर के कार्यो के लिए प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक कार्य के लिए (संलग्न–1) के अनुसार निर्धारित प्राफार्मा पर सारी सूचनायें एफेडेविट के रूप में देनी होगीं । जिससे कि निविदादाता की बिड कैपेसिटी (कार्य करने की निविदा क्षमता) आंकलित की जा सके । प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व बिड कैपेसिटी के लिए स्वयं को संतुष्ट करना होगा । बिड क्षमता सैक्शन 3 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप आंकलित की जायेगी जो निविदादाता आवश्यक बिड कैपेसिटी को पूर्ण नहीं करते हैं उनकी निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी ।

16. निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के सारी सूचनायें प्रपत्र निर्धारित प्राफार्मा (टी–4, टी–5, टी–6) जमा करना अनिवार्य होगा ।

17. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0अ0वि0,प्रखण्ड–मेरठ।

पत्रांक एंव दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– समस्त सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड मेरठ ।
2. सूचना निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ ।
3– जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,मेरठ ।
4– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल मेरठ ।
5– निदेशक/मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
6– संबंधित माननीय सासंद/विधायक ।
7– अधिशासी अभियंता, प्रांतीय/निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग, मेरठ ।
8– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन0आई0सी0) मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस निविदा को अपनी वैबसाईट पर डालने की कृपा करें।
9– कैशियर, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड मेरठ ।
10– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0अ0वि,प्रखण्ड–मेरठ।